

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ, दिनांक 15-5-2019

:-कार्यालय ड्राफ्ट:-

अधिकांश भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अधिकांश सत्र 2018-20 हेतु विदेशीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की रायवाह प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु अधिकांश नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संशोधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठवक्र/प्रवेश अर्थात् पूर्ण/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्रम 3 में दिशानिर्देश द्वारा फार्मली, पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली नई संस्था का अंतरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

“एनआईसीटीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध दिशानिर्देश फार्मली संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को दिशानिर्देश इन फार्मली पाठ्यक्रम से प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीएनसीआईए अनुमोदन एवं परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।”

आ निम्नानुसार संशोधित संस्था का परिषद की निदेशित समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अंतरण पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पठवक्र एवं नामों अंकित प्रेषित किये हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पठवक्र का नाम	पठवक्र/दिशानिर्देश/न. दिशानिर्देश/पूर्व से अनुमोदन/पूर्व से अनुमोदन/पूर्व से अनुमोदन/पूर्व से अनुमोदन	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अर्थात्
1.	2018	श्री. सवित्राम-प्रभुगिरि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कानपुर	विदेशी इन फार्मली	य	य

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईसीटीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों 1992 तथा अन्य विनियम विधान एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा इसमें विदेशी स्तरीय द्वारा निर्धारित शुल्क और वसीय इन्फो-रमेशन हेतु ₹ 20,00,000/- अर्थात् दो करोड़ भारतीय पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40,00,000/- अर्थात् चार करोड़ तथा दो करोड़ भारतीय (दो करोड़ भारतीय पाठ्यक्रम के अधिनियम हेतु ₹ 20,00,000/- अर्थात् दो करोड़) प्रवेश/प्रवेश से अंतर किया जाएगा। संस्था के अधिनियम प्रवेश/प्रवेश से अंतर के सम्बन्ध में उच्च-मध्य या उच्च-निचले स्तर के अंतर किये जाने वाले संलग्नक-2 अर्थात् शर्तों, और अनुमोदन कार्यालयी किये जाने आवश्यक होगा। शेष निदेशित शर्तों द्वारा शर्तें सत्र 2019-20 हेतु सत्र को सुनिश्चित किया जाता है। संस्था की साभार-2 पर अनु. शर्तें।

कार्यालयराजि. प्राविधिक शिक्षा परिषदउत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्रावि.प.परिषद/संख्या/2021/38/37

संख्या- दिनांक- 09/08/2021

कार्यालय प्राप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मैसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सं. 1821-22 हेतु दिल्लीमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित/सम्बन्धित विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बन्धित समिति की बैठक संचाल हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बन्धित/पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बन्धित विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बन्धित/सम्बन्धित विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिए गया।

सम्बन्धित समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बन्धित विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 3366-LATE RAMNDRANAND BADONIYA COLLEGE OF PHARMACY, MEHRONI, LALITPUR			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई० द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बन्धित हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-20-16 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इक्वी. पाठ्यक्रमों हेतु ₹२०,३०,१०,००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹२०,४०,००,००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹२०,२२,५०,००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वाकल द्वारा निर्गत किये जाने वाले फासकॉलेस प्रकाशों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा उक्त सं. 2021-22 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, उसे जीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उक्त समितियों, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाना; विनियमवली-20/16 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार एवं अन्य की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत फासकॉलेस के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को १०-अई०सी०टी०ई०/बी०सी०-अई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिविधियों/अधिनियमों/साक्षात्कारी निर्देशों एवं विदेशिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ संस्थोद्या इन कार्यवाही प्रत्यक्षता की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में संयुक्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध बाधर किए जाते हैं तथा बाधर बंध के संबंध में सा-उत्तरदायित्व द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो संयुक्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थोद्या इन कार्यवाही प्रत्यक्षता संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित गई के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०-अई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संपत्ति सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक एवं भूमि, स्टाफ, साज-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुल्फ, छात्रावास सुल्फ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ वैज्ञानिक ढंग के सम्पत्ति में संपत्ति आवश्यक सम्पत्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संभावित प्रत्यक्षता की बसाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख भूमि भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रत्यक्षता के अन्तर्गत में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संयुक्त संस्था की सम्पत्ति समायोजित करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, छात्रावास, उपकरण एवं अन्य साज सजा का १०-अई०सी०टी०ई०/बी०सी०-अई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्पत्ति समायोजित कर दी जायेगी।
- ✓ सम्पत्ति समायोजित कर अनुपालन न किये जाने अथवा धर्म का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन- सचि १/परिषद सम्बन्धित/202 1/3338-4809

दिनांक 09/08/2021

प्राविधिक

प्रधानाचार्य/निदेशक, LATE RAVINDRANAND BADDIYA COLLEGE OF PHARMACY, MEHRON, LALITPUR

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव